





# बखरस्त कर्मियों की याचिका खारिज करने पर भाजपा ने जताई खुशी

जयन्त प्रतिनिधि

कोटद्वार : भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त कर्मियों की सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज होने पर खुशी जताई है। कहा कि विधानसभा अध्यक्ष त्रिवृत्त खंडडी भूषण फर्जी तरीके से भर्ती हुए व्यक्ति के खिलाफ गंभीरता से कार्रव कर रही है।

शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता झंडाचौक के समीप एकत्रित हुए। वहाँ उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के समर्थन में नारेवाजी की। भाजपा नेता अधिकारी भारद्वाज ने कहा कि विधानसभा सचिवालय में हुई तदर्थ भर्तीयों में गड़वडी का मामला तूल पकड़ने के बाद विधानसभा अध्यक्ष त्रिवृत्त खंडडी भूषण ने सेवानिवृत्त आईएस डीके कटिया की अध्यक्षता में जांच कर्मेंटी गठित की थी। कमेटी की रिपोर्ट के बाद वर्ष 2016 से 2021 तक तदर्थ आधार पर नियुक्त 228 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। विधानसभा अध्यक्ष के इस नियम्य को बर्खास्त कर्मचारियों ने नेतृत्वात हाईकोर्ट में चुनौती दी।



कोटद्वार के झंडाचौक में विधानसभा अध्यक्ष के पक्ष में नारेवाजी करते भाजपा कार्यकर्ता थी। लेकिन, उन्हें वहाँ से भी कोई राहत नहीं मिली थी। कहा कि कर्मियों ने सुप्रीम कोर्ट में भाटिया, शांतनु रावत, निरुलाला खंडवाल, देमत गोड़, जयदीप नैटियाल, सुभाष पाठेय आदि मौजूद रहे।









